



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 335]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/VAISAKHA 22, 1938

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

सा.का.नि.501 (अ) :- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव रखती है, और एतद्वारा उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

उक्त नियमों से प्रभावित होने वाले हितबद्ध व्यक्ति, इन प्रारूप नियमों के राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने के तीस दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियां/सुझाव महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली - 110011 को भेजे जा सकते हैं।

नियम

- (i) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे
- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में नियम 8 के उप नियम (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः-

